Research Inspiration
(Peer-reviewed, Open accessed and indexed)
Journal home page: www.researchinspiration.com
ISSN: 2455-443X, Vol. 09, Issue-I, Dec. 2023

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी के विचारों की प्रासांगिकता

Dr. Nita Chauhan[a,*],
[a]*Assistant Professor (Political Science), Assistant Professor (Political Science), Rajkiya Mahavidhyalaya, Kekdi Ajmer, Rajasthan (India)*

KEYWORDS
प्रासांगिकता, परिदृश्य, विकेन्द्रीयकरण, अवधारणा, राजनीतिक आध्यात्मिकरण, सर्वधर्म समभाव, सत्याग्रह, आत्मसात्।

ABSTRACT
प्रस्तुत आलेख में गांधी के समग्र विचारों का विवेचन किया गया है। जहां गांधी का सत्य अहिंसा का मार्ग विश्व शांति, सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा गया वहीं जनता की शासन में सहभागिता को भी राष्ट्र के विकास हेतु अहम माना गया। प्रस्तुत आलेख में गांधी ने नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य, सर्वधर्म समभाव की भावना, सत्याग्रह, व्यक्तित्व विकास हेतु एकादश व्रत, ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का भी उल्लेख किया गया है। उक्त आलेख गांधी के द्वारा प्रतिपादित विचारों की समसामरिक प्रासंगिकता को प्रस्तुत करता है।

विषय वस्तु

प्रस्तुत आलेख गांधी चिंतन पर आधारित है, जिसमें गांधी के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता को बताया गया है। गांधी का चिन्तन क्षेत्र बहुत व्यापक एवं विविध आयामी है। गांधी मात्र विचारक तथा समाज सुधारक ही नहीं थे अपितु राजनीति, चिन्तन व दर्शन को नया स्वरूप देने वाले सक्रिय राजनीतिज्ञ, गूढ़ चिंतक भी थे। वे भारतीयता से ओतप्रोत, सत्य, अहिंसा, प्रेम, विश्वशांति के समर्थक होने के साथ–साथ बहुत बड़े रणनीतिज्ञ भी थे, गांधी के चिन्तन का केवल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में ही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका चिंतन मानव की प्रत्येक समस्या से जुड़ा हुआ था। जब समस्याओं के संदर्भ में हम गांधी के विचारों का अध्ययन करते हैं तो आज भी हर क्षेत्र में उनके विचारों की आवश्यकता महसूस होती है। अगर हम कहें कि गांधी का चिंतन नवीन समाज की संरचना के लिए आवश्यक है, तो उचित ही है।[1]

भारत की राजनीति में गांधी 1919–1948 तक अग्रणी नेता के रूप में रहे। गांधी के आन्दोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। उनका जीवन दर्शन प्रेम, अहिंसा, शांति, आत्म निर्भरता एवं सहिष्णुता का संदेश देता है। गांधी की विलक्षण राजनीतिक दूरदृष्टि में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्त द्वन्द्वों का सशक्त समाधान निहित है। गांधी ने अपना सम्पूर्ण जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा मानवता के विकास हेतु समर्पित किया। वर्तमान परिवर्तनशील युग में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जहां हर तरफ तनाव व मतभेद दृष्टिगत हो रहे हैं, गांधी की विचारधारा ही व्यवस्था का पथ प्रशस्त कर सकती है, तभी शांति, सुरक्षा एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति एक युद्ध रहित, घृणा रहित एवं प्रेम पूर्ण विश्व का निर्माण कर सकता है। वर्तमान अस्थिर राजनैतिक वातावरण में नव प्रजातंत्र की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब भ्रष्ट लोगों को सत्ता से पदच्युत करके शासन व्यवस्था में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाये। गांधी व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा एवं प्रतिष्ठा के प्रबल समर्थक थे।

*** Corresponding author**
E-mail: nitachauhan394@gmail.com (Dr. Nita Chauhan). https://orcid.org/0000-0002-8349-3861
DOI: https://doi.org/10.53724/inspiration/v9n1.02
Received 20th Oct. 2023; Accepted 20th Nov. 2023
Available online 30th Dec. 2023
2455-443X /©2023 The Journal. Published by Research Inspiration (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

उनका मानना था कि राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति के विकास की संभावना हो। मूल रूप से राजनीतिक सत्ता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। इसके लिए सत्ता विकेन्द्रित होनी चाहिए।[2] सत्ता का केन्द्रीयकरण व्यक्तित्व विकास के लिए घातक कहा जा सकता है। जनता की जागरूकता भी इसमें अहम् भूमिका निभाती है। प्रत्येक व्यक्ति की सत्ता में सक्रिय भागीदारी सत्ताधारी पक्ष को तानाशाह होने से रोकती है। अतएव स्थिर राजनीति के लिए गांधी की पंचायती राज की अवधारणा को सही एवं प्रभावी तरीके से लागू किया जाना अपेक्षित है।

गांधी ने स्वतंत्रता के समय ग्राम स्वराज (पंचायती राज) व्यवस्था की परिकल्पना की थी।[3] गांधी की इसी परिकल्पना को संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। जिसमें कहा गया है ''राज्य गाम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो।''आज जब वैश्वीकरण की बात हो रही है तो गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा एकदम सटीक परिलक्षित हो रही है। राष्ट्र कल्याण सत्ता के केन्द्रीयकरण से नहीं, विकेन्द्रीयकरण से संभव है।[4] गांधी गांवों को पूर्ण आत्म निर्भर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज स्वतंत्रता के इतने दशकों के उपरान्त भी भारत के गांव उसी स्थिति में है जैसे पूर्व में थे। इसका कारण हमारे नीति निर्माताओं द्वारा गांधीवादी विचारधारा का त्याग करना रहा है। आज सम्पूर्ण राजनीतिक इकाईयां अपने से उच्च स्तर की इकाई के समक्ष वित्तीय स्त्रोतों के लिए मांग कर रही है। ग्राम सरकारें राज्य से, राज्य सरकारें केन्द्र से और केन्द्र सरकार विकसित देशों से एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण लेती है। इस विकट स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा है। जिसमें गांव एक पूर्ण प्रजातंत्र होगा और वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करेगा। न केवल आन्तरिक वरन् बाह्य आक्रमणों से भी स्वयं रक्षा करेगा।[5] गांधी की इस परिकल्पना को साकार रूप दिया जाये तो भारत स्वयं ही आत्म निर्भर बन जायेगा और ऋण मुक्त हो जायेगा। गांधी के विचारों को आत्मसात एवं व्यवहार में अपनाने की आवश्यकता है।

आज जब हम राजनैतिक व्यवस्था पर दृष्टिपात करते है तो ऐसा लगता है कि जिन नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की बात गांधी ने राजनीति के लिए की थी, वे उन्हीं के साथ राजनीति से विलुप्त हो गए। क्योंकि आज की राजनीति महज निजी स्वार्थ–लिप्सा का साधन बन कर रह गई है। बहुत कम लोग है जो राष्ट्र सेवा की भावना से राजनीति में प्रवेश करते हैं। अधिकतर नेता अपनी स्वार्थ पूर्ति में ही लगे रहते हैं।[6] इसी वजह से एक सामान्य व नैतिक मूल्यों में आस्था रखने वाला व्यक्ति राजनीति में आने की सोच भी नहीं पाता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ ही नेता गांधी की अपेक्षा के अनुरूप कार्य कर सके हैं। राजनीतिक व्यवस्था मूलभूत समस्याओं गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, जनसंख्या, नियंत्रण, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को पूरा करने में असफल रही है। राजनीति और प्रशासन दोनों ही भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूब चुके हैं। झूंठे वादे करना, जनता को गुमराह करना, गरीब जनता को लालच देकर वोट प्राप्त करना तथा राजनीति में आने के बाद भ्रष्ट आचरण कर जनता को लूटना राजनेताओं की आदत बन गई है।

यद्यपि बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन केवल कागजों में ही होता है। फिर देश का विकास कैसे हो सकता है? गांधी को इन बुराईयों का पूर्वाभास था। यही कारण है कि उनकी इच्छा थी कि राजनीति में धर्म को शामिल किया जाये। राजनीति में धर्म को समाविष्ट करने का अर्थ है– न्याय

तथा सत्ता की प्रगति करना, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति किसी भी तरह से शोषण व उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकता। गांधी के अनुसार सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां, चाहे वे राजनीतिक हो, सामाजिक या आर्थिक, धर्म के अनुप्रमाणित होनी चाहिए।[7] सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, प्रेम, नैतिकता आदि गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करेगा तो राजनीति के माध्यम से समाज में स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सकेगा। आज की राजनीति में भारत को ऐसे ही नैतिक गुणों से युक्त लोगों की आवश्यकता है, जो राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ एवं निर्मल स्वरूप प्रदान कर सके तथा राष्ट्र की सेवा पूर्ण निःस्वार्थ भावना से कर सके।

गांधी का राजनीतिक आध्यात्मीकरण का तात्पर्य यह नहीं था कि राजसत्ता पर धर्माधिकारियों का वर्चस्व रहे अथवा राज्य का अपना कोई राजधर्म हो। गांधी के अनुसार राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बिना किसी बाधा के अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजनेता को किसी एक धर्म से बंधकर नहीं रहना चाहिए। वरन् सभी धर्मों का समान भाव से आदर करना चाहिए।[8] गांधी के विचारों को राजनीतिक क्षेत्र में लागू किया जाये तो सत्य, अहिंसा, सहयोग, सद्भावना जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाकर राजनीति से विद्रोह, विघटन, अनैतिकता, छल, कपट, दांवपेच को दूर किया जा सकता है तथा राष्ट्र की सम्पूर्ण व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है। आज देश को राजनेताओं ने धर्मों में बांट दिया है। राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख दल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं इससे बचने के लिए सम्प्रदायों में धर्मविशेष को संरक्षण देने वाली राजनीति के स्थान पर गांधी की सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को अपना कर संकीर्ण राजनीति से छुटकारा पाया जा सकता है। गांधी का सर्वधर्म सम्भाव सभी धर्मों–मजहबों की बुनियादी एकता पर अवलम्बित था। सभी धर्मों का गूढ़ अध्ययन करने के बाद गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सभी धर्म–मजहबों के मूलभूत सिद्धान्त एक ही हैं, अन्तर केवल रूढ़ियों, कर्मकाण्डों व रीति रिवाजों में है। इसलिए इस अन्तर को मिटाना होगा एवं एक दूसरे के धर्म का परस्पर सम्मान करते हुए भाईचारे के साथ रहना होगा तभी धर्म के नाम पर होने वाले आपसी झगड़ों का समाधान हो सकेगा।[9]

भारत की राजनीति में गांधी का आगमन ऐसे समय में हुआ था जब सोवियत संघ में साम्यवाद का उदय हो चुका था हिंसा के बल पर साम्यवाद प्रसारित हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से पूरा विश्व आक्रान्त था। ऐसे हिंसक वातावरण से भारतीय राज व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। तब गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की नवीन सम्मिलित अवधारणा को राजनीति में प्रयुक्त कर पूरे विश्व के समक्ष नूतन प्रयोग प्रस्तुत किया। गांधी इस बात को भी अच्छी तरह से जानते थे कि वर्तमान समाज में हिंसा का जो स्वरूप उभर रहा आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न करेगा। समस्त मानव जाति केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही विनाश से बच सकती है। आज के दूषित राजनीतिक वातावरण में पुनः सत्याग्रह के प्रयोग की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। राजनीतिक जीवन में झूंठ, छल, कपट, घृणा, के स्थान पर प्रेम पर आधारित मूल्यों की आवश्यकता है। आपसी द्वेष व घृणा का त्याग कर राजनीति में प्रवेश लेने वाले नेता इसे व्यवहार में अपनाये तो राजनीति को दूषित होने से बचाया जा सकता है। राजनीति में जिस तरह असत्य व हिंसा हावी होती जा रही है। वहां सत्याग्रह एक अचूक अस्त्र है जिसका पालन पूर्ण ईमानदारी से किया जाता है तो निरंकुश सत्ता को पदच्युत कर जन शक्ति को स्थापित किया जा सकता है। इसमें जनता के संगठित सहयोग की अपेक्षा रहती है। जब जनता एकजुट होकर हिंसा, दमन, अन्याय के विरूद्ध अहिंसक संघर्ष करती है, स्वयं को कष्ट पहुंचाकर विरोधी का हृदय जीतना चाहती

है, तब अन्याय नहीं टिक सकता है[10], यह सोच जब प्रस्फुटित हो जाती है तो एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था उभरकर सामने आ सकती है।

सत्याग्रह के प्रभावी संचालन के लिए गांधीजी द्वारा प्रतिपादित एकादश व्रत नैतिक नियमों की आचार संहिता के रूप में है, जिनसे सत्याग्रहियों के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि स्वयं गांधी के अनुसार चरित्र निर्माण से बढ़कर कुछ नहीं।[11] उच्च चरित्र वाला व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। राजनीति में व्याप्त, हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, धार्मिक व जाति तनाव, अपराधीकरण का समाधान इसी में निहित है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इन्द्रियों पर नियंत्रण, स्वदेशी, निर्भयता, अछूतोद्धार, सहिष्णुता, एक व्यक्ति में उच्च चरित्र का निर्माण करती है। अगर देश के लोगों का चरित्र उँचा होगा तो राजनीति स्वतः ही परिशुद्ध हो जायेगी। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उच्च चरित्र का योगदान सदैव रहता है। एकादश व्रत न्यायपूर्ण समानता एवं व्यक्ति की गरिमा के लिए आवश्यक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। वर्तमान समय में गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता इस कारण सर्वाधिक है, क्येांकि मैकाले दर्शन पर आधारित शिक्षा पद्धति शिक्षित नवयुवकों का ऐसा वर्ग तैयार कर रही है जो नौकरी के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता। गांधी की शिक्षा व्यवस्था में बच्चे अक्षर ज्ञान लिखने से पूर्व दस्तकारी (हस्तकला) सीखेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपना एवं परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज के युग में जहां मूल्यों का पतन हो रहा है, वहां गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था श्रेष्ठतम प्रतीत होती है। इसी से मनुष्य का चरित्र निर्माण सही दिशा में हो सकता है।[12]

वर्तमान युग चुनौतियों से पूर्ण एक ऐसा युग है, जहां मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन गया है। 21वीं सदी में प्रवेश करते समय सम्पूर्ण विश्व को एक ग्राम के रूप में देखने की उमंग थी पर 11 सितम्बर 2001 को अमरीका के विश्व व्यापार केन्द्र, फिर 13 दिसम्बर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमलों ने मानवता को हिलाकर रख दिया। आतंकी हिंसा का कभी न खत्म होने वाला दौर चल रहा है। सीमा पार राष्ट्र द्वारा जिहाद के नाम पर सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा आतंकवाद न जाने कितने बेगुनाहों को समाप्त कर चुका है। कश्मीर ऐसा राज्य है जहां के लोग प्रतिदिन हिंसा का सामना करते हैं। वर्तमान हिंसा का स्वरूप भयावह हो चुका है। आज की जटिल एवं हिंसक परिस्थितियों में राजनीतिक समस्याओं का समाधान परमाणु शस्त्रों की होड में तलाशा जा रहा है जबकि हिंसा पर नियंत्रण गांधी के विचारों को आत्मसात् करने पर संभव है। भारत – पाकिस्तान के बीच संघर्ष में भारत ने सदैव संयम व धैर्य का परिचय दिया है। क्योंकि भारत आज भी गांधी के सिद्धान्तों में विश्वास करता है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी एवं श्रेष्ठ समाधान नहीं हो सकता। परस्पर प्रेम व भाईचारे को जाग्रत कर शांति पूर्वक वार्ताओं के माध्यम से समस्याओं का समाधान मानवता का महाविनाश होने से रोक सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में आयोजित विश्वशांति सम्मेलन इस बात का प्रमाण है कि विश्व हिंसा से थक चुका है और शांति की आवश्यकता को महसूस कर रहा है। यह बात भी अधिकांश राष्ट्रों को समझ में आ चुकी है कि जिस तरह प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं हो सकती वैसे ही किसी ओर बम से परमाणु बम का निराकरण नहीं हो सकता। गांधीजी का यह कथन शाश्वत प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह देश जो पूर्ण अस्त्र परिसीमन की नीति के बिना अपने पड़ौसी के साथ सहयोग की नीति को अपनाता है, वही विश्व को घृणा से दूर, भय और संदेह से सच्चे समुदाय की ओर ले जा सकता है। यह तभी संभव है जब राष्ट्रों के मध्य सहयोग व समन्वय हो। एक दूसरे के अस्तित्व को बनाये रख्ने की प्रबल इच्छा शक्ति हो।[13] आज राष्ट्रों

के मध्य जो वैमनस्य बढ़ रहा है, उसे दूर करने के लिए गांधी के विचारों को आत्मसात् करना ही होगा।

गांधी यद्यपि अर्थशास्त्री नहीं थे, परन्तु उन्होंने इस बात का चिन्तन किया जब से भारत में ब्रिटिश राज आया तब से सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक क्षेत्र में हुआ। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लए उन्होंने चरखा व खादी के रूप में दो विकल्प प्रस्तुत किए, जो न सिर्फ राष्ट्र की एकता के प्रतीक बने अपितु राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण के संवाहक बने। स्वदेशी के बारे में गांधी ने कहा था– स्वदेशी की भावना हमें दूर की अपेक्षा नजदीकी क्षेत्र की उपयोगिता सिखाती है। अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत हमें पड़ौसी द्वारा बनी चीजों का उपयोग करना चाहिए, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि मानवता की प्रतिस्थापना की जा सके।[14] अर्थव्यवस्था के निजीकरण में गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई स्वदेशी की अवधारणा वर्तमान विचारधारा के अनुकूल नहीं समझी जा रही है। वर्तमान पीढ़ी के अनुसार उदारीकरण के इस दौर में जब राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से बेहतर प्रोद्योगिकी की वस्तुएं प्राप्त कर सकता है तब उक्त वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी को अपनाना गलत होगा।

वर्तमान समय में उदारीकरण को विश्व के सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रह रहा है। लेकिन इस नीति को अपनाने से लाभ की बजाय हानि अधिक हुई है। इस नीति ने बेरोजगारी में तो वृद्धि की है, साथ ही नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में जकड़ते जा रहे हैं। विश्व बाजार में विकसित राष्ट्रों का दबदबा बढ़ रहा है और भारत सहित विकासशील राष्ट्रों को इन विकसित राष्ट्रों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर होना पड़ रहा है। इसके अलावा उनकी अनुचित मांगों को भी स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे विकट समय में गांधी का स्वदेशी का सिद्धान्त न सिर्फ बेरोजगारी व निर्धनता का समूल नाश कर प्रत्येक नागरिक को आत्म निर्भर बनाने का साधन है वरन् उदारीकरण की इस घातक प्रतियोगिता से विकासशील राष्ट्रों को बचाने का प्रभावी समाधान कहा जा सकता है।

ग्रामीण उद्योग धंधे जैसे मधुमक्खी पालन, चमड़ा उद्योग, सूत उद्योग, वस्त्र उद्योग स्थापित कर अपने आपको आत्म निर्भर बना सकता है। अगर भारत का हर नागरिक इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि वह स्वयं के हाथ से बना हुआ वस्त्र ही पहनेगा, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करेगा, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देश छोड़कर जाने को विवश हो जायेगी और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जायेगा।[14] जिसकी आज महती आवश्यकता है। व्यक्ति को गांधी के बताये सादा जीवन शैली के मार्ग को भी अपनाने की आवश्यता है। पाश्चात्य जीवन शैली और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों ने व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना दिया है जैसे ही एक वस्तु की पूर्ति होती है, दूसरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा जाग्रत हो जाती है। इसका फायदा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उठा रही है। इस विषम परिस्थिति में सादा जीवन शैली अपनाना अनिवार्यता बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति आत्म निर्भर बनकर तथा सादा जीवन शैली को अपनाकर राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। क्योंकि देश की राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता है। गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त अर्थ के लिए होने वाले संघर्ष को कम कर सकता है। व्यक्ति आपसी संघर्ष तभी करता है जब प्रतियोगिता हो। ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त न केवल संयम की शिक्षा देता है, वरन् विश्व में शांति, सभी को न्याय तथा आर्थिक समानता स्थापित करने में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र ही राजनीतिक दृष्टि से स्थिर व ताकतवार राष्ट्र बना सकता है।[16]

आज विश्व के अधिकांश राष्ट्र लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता को स्वामी माना जाता है पर क्या वास्तव में

जनता स्वामी बन पाई है? वास्तव में देखा जाये तो लोकतंत्र होते हुए भी जनता भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण का शिकार है। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोकतंत्र के नाम पर एक अभिजन वर्ग का उदय हो रहा है, जो सिर्फ अपने स्वार्थों में लिप्त है। जनता की सुख सुविधाओं से उस वर्ग को कोई मतलब नहीं है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, परन्तु भ्रष्टाचार, शोषण, निर्धनता, मानवाधिकारों का हनन, अपराधियों का राजनीति में बोलबाला जैसी दुष्प्रवृतियां समाज में विद्यमान है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मानवता को गांधी की क्या देन रही है? इसका उत्तर यही है कि गांधी ने मानव जाति को सत्य की शिक्षा दी। सत्य जिसमें गुलामी का प्रतिरोध करने की क्षमता है, जो एक ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें परस्पर सहयोग, सद्भाव व सम्मान की भावना निहित हो।

निष्कर्ष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो गांधी को स्वीकार करना ही होगा। जब कानून व हिंसा समस्याओं का समाधान करने में विफल हो रहे हैं, तब गांधी का त्यागमय, करूणामय अहिंसा सत्य एवं प्रेम का मार्ग ही शेष बचता है, जिसमें समस्त मानवता का हृदय परिवर्तित करने की क्षमता है। संक्षेप में यदि वर्तमान समग्र व्यवस्थाओं यथा राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक बुराईयों से मुक्त करना है तो गांधी के विचारों को स्वीकार करना अपरिहार्य होगा।

संदर्भ सूची

1. प्रो.बी.एन. शर्मा, डॉ. रामकृष्ण दत्त शर्मा, डॉ.सविता शर्मा – गांधी दर्शन के विविध आयाम पृ.सं.1।
2. मनोहरपुरी, समकालीन भारत पृ. 209।
3. भारत का संविधान अनु.40।
4. सुखवीरसिंह गहलोत, राजस्थान पंचायती राज कानून पृ. सं.3।
5. हरिजन सेवक 28 जुलाई 1946 पृ. 236।
6. प्रो.बी.एन. शर्मा, डॉ. रामकृष्ण दत्त शर्मा, डॉ.सविता शर्मा – गांधी दर्शन के विविध आयाम पृ.सं. 152।
7. नवजीवन 30 जनवरी 1921
8. शंभूरत्न त्रिपाठी, गांधी धर्म और समाज पृ. 140।
9. डॉ.बी.एन. पाण्डे, गांधी, महात्मा : समग्र चिंतन पृ. 123।
10. वी.वी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पृ. 359।
11. प्रो.बी.एन. शर्मा, गांधी दर्शन के विविध आयाम पृ.90।
12. उपरोक्त, पृ. 161।
13. हरिजन 02 अप्रेल 1938 पृ. 64।
14. गांधीजी, मेरे सपनों का भारत पृ.–128–129।
15. प्रो.बी.एन. शर्मा गांधी दर्शन के विविध आयाम पृ. 153–154।
16. पवन कुमार भंवरिया, वर्तमान परिवेश में गांधी पृ.–37।

****